

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/भूगोल/स्थानान्तरण/20-21/1-504 एवं 1-101 दिनांक-04.01.2021 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल-शिक्षा) भूगोल अर्थशास्त्र व विभिन्न विषय का स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेश में संशोधन निम्नानुसार किये जाते हैं :-

क्र.स.	कार्मिक का नाम	विषय	पदस्थापन स्थान	आदेश में क्र.स. संख्या	संशोधन
1.	GAJANAND GARG	GEOGRAPHY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANGAL RAJAWTAN DAUSA (218046), DAUSA TO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL THIKARIYA (218040) DAUSA UNDER TRANSFER	294	इनका स्थानान्तरण राउमावि, नांगल राजावतान दौसा से राउमावि, ठिकरीया दौसा किया गया था। उक्त आदेश इनकी सीमा तक निरस्त कर, इन्हें यथावत रखा जाता है।
2	RAM SWAROOP JAT	GEOGRAPHY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINODIYA (218532) JAIPUR TO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MINDA (219950) NAGOUR UNDER TRANSFER	58	इनके स्थानान्तरण आदेश में इनका नवीन पदस्थापन स्थान राउमावि, मिण्डा नागोर के स्थान पर राउमावि, कुडियों का बास जयपुर किया जाता है।
03	RAGHUVEER SINGH	ECONOMICS (1-101)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARASRAMPURA 216082 JHUNJHUNUN TO GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOJA (220918) BARMER UNDER TRANSFER	90	इनके स्थानान्तरण आदेश में इनका नवीन पदस्थापन स्थान राउमावि कोजा 220918 के स्थान पर राउमावि शहीद भीमसिंह सोरचकरा राउमावि जसरापुर 215968 झुंझुनू किया जाता है।
04	SALIM KHAN KAYAMKHANI	URDU (1-101)	JOHARI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LADNUN (213501),N P LADNUN_WARD NO 21,NP LADNU CITY (213501)	09	मूल आदेश में क्रम संख्या 09 व कॉलम संख्या 07 में चुरु के स्थान पर नागोर संसोधित पढा जावें।

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-04/01/2021

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/भूगोल/स्थानान्तरण/2020-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. आयुक्त, समसा, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
7. निजी/रक्षित पत्रावली।
8. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)